2024/76

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री कान्तिलाल उपाध्याय निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 23 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
05.06.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 20.04.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि गांव कारोली पटवार हल्का आमथला तहसील देलदर जिला सिरोही में स्थित खसरा संख्या 234 व 397 से सम्बन्धित राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं श्री दीपक पुत्र श्री मनहरलाल आचार्य द्वारा न्यास की भूमि में अवैध बॉम्बे सुपर मार्केट निर्माण से सम्बन्धित राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं नगर सुधार न्यास आबू कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों की सूचना नाम, पता व मूल विभाग एवं किस प्रभार पर कार्यरत है, उपरोक्त से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 20.04.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि गांव कारोली पटवार हल्का आमथला तहसील देलदर जिला सिरोही में स्थित खसरा संख्या 234 व 397 से सम्बन्धित राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं श्री दीपक पुत्र श्री मनहरलाल आचार्य द्वारा न्यास की भूमि में अवैध बॉम्बे सुपर मार्केट निर्माण से सम्बन्धित राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं नगर सुधार न्यास आबू कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों की सूचना नाम, पता व मूल विभाग एवं किस प्रभार पर कार्यरत है, उपरोक्त से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (शुभम चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner